[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF REVENUE)
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

Notification

New Delhi, the 15th January, 2014

S.O. 108 (E). — In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income –tax (1st Amendment) Rules, 2014.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 44CA, —

(a) in sub- rule (1), for the bracket and words "(other than the Annexure and the statements", the bracket and words "(including the Annexure and the statements" shall be substituted;

(b) for sub-rule (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(2) Where an application has not been declared invalid under sub-section (2C) of section 245D or an application has been allowed to be further proceeded with under sub-section (2D) of that section, all the material and other information produced by the assessee before the Settlement Commission shall be sent to the Commissioner to enable him to furnish the report under sub-section (3) of section 245D.

(3) Where the proceeding before the Settlement Commission abates, the Commission shall send, all the material and other information produced by the assessee before the Commission and the results of any enquiry held or evidence recorded in the course of proceedings before it, to the Commissioner.".

[Notification No. 5/2014][F.No.142/32/2013-TPL]

[Ashis Mohanty]
Under Secretary to Government of India

Note: - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification S.O. 969 (E), dated 26th March, 1962 and last amended by the Income-tax (19th Amendment) Rules, 2013 *vide* notification S.O. 3794 (E) dated the 23rd December, 2013.

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 15 जनवरी, 2014

का.आ.108(अ).- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2014 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 के नियम 44गक में,-

(क) उपनियम 1 में "(उपाबंध और विवरणों से भिन्न" को-ठक और शब्दों के स्थान पर " उपाबंध और विवरणों सहित" को-ठक और शब्द रखे जाएंगे ।

(ख) उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(2) जहां धारा 245घ की उपधारा (2ग) के अधीन किसी आवेदन को अविधिमान्य घोनित नहीं किया गया है या उस धारा की उपधारा (2घ) के अधीन आगे किसी आवेदन पर कार्रवाई किए जाने के लिए अनुज्ञात किया गया है वहां समझौता आयोग के समक्ष निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई सभी सामग्री और अन्य सूचना को धारा 245 की उपधारा (3) के अधीन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उसे समर्थ बनाने के लिए आयुक्त को भेजा जाएगा ।

(3) जहां समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाहियों का उपशमन होता है वहां आयोग, आयोग के समक्ष निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत सभी सामग्री और अन्य सूचना तथा इसके समक्ष कार्यवाहियों के क्रम में किसी अभिनिर्धारित जांच के परिणाम या अभिलिखित साक्ष्य आयुक्त को भेजेगा ।"

[अधिसूचना सं0 5/2014 फा0सं0 142/32/2013-टीपीएल]

(आशी-ा मोहंती)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं0 का.आ. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना सं0 का.आ.3794(अ) तारीख 23/12/2013 के तहत आय-कर (19वा संशोधन) नियम, 2013 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।